अध्याय - X

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

अधिनियम/नियम/वार्षिक कार्यक्रम

संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए इस विभाग में एक हिन्दी अनुभाग है । यह अनुभाग संयुक्त सचिव (परिवहन और प्रशासन) के समग्र प्रभार में तथा उप निदेशक (राजभाषा) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है । हिंदी अनुभाग राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के सभी संगत उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, वार्षिक कार्यक्रम तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों को सभी अधिकारियों, अनुभागों और विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए परिचालित करता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करता है ।

10.1.2 राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसके अन्तर्गत आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषिक रूप में जारी किए गए।

10.1.3 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के जबाव हिन्दी में ही दिए गए।

हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन तथा इसकी बैठक

10.1.4 माननीय राज्यमंत्री (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है । इस समिति का मुख्य कार्य राजभाषा संबंधी सांविधिक उपबंधों, राजभाषा अधिनियम तथा नियम में निर्धारित सिद्धांतों और केन्द्रीय हिन्दी समिति तथा विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों और निदेशों के कार्यान्वयन में सलाह देना है । पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 3 अक्टूबर, 2005 को वाराणसी में हुई ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

10.1.5 संयुक्त सचिव (परिवहन और प्रशासन) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है जिसका कार्य तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना और कमियों को दूर करने के बारे में अधिकारियों को सुझाव देना/उपाय सुझाना है । राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं ।

हिन्दी/हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण

10.1.6 विभाग में अधिकांश अधिकारियों / कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। वे अधिकारी और कर्मचारी जिनको हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, को हिंदी शिक्षण के लिए चरणबद्ध रूप से नामित किया जाता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 3 कर्मचारियों को नामित किया गया। इसी तरह, हिंदी आशुलिपि और हिंदी टंकण के लिए कर्मचारियों को नामित किया जाता है। एक आशुलिपिक और 3 टंककों को क्रमशः हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण के प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया।

10.1.7 हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का भरपूर उपयोग करने की दृष्टि से विभाग के सभी पर्सनल कम्प्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

राजभाषा संबंधी निरीक्षण

10.1.8 राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2005-06 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार निरीक्षण किए गए हैं। वर्ष के दौरान विभाग के 20 अनुभागों का निरीक्षण किया गया। सितम्बर माह, 2005 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारका, नई दिल्ली का भी निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों को प्रभारी अधिकारियों के ध्यान में लाया गया और पाई गई कमियों को दूर करने के लिए उपचारी सुझाव दिए गए।